कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
सिरपुर भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

-:: विज्ञप्ति ::-

लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2015 के नियम 6 (1)(ख) के अनुसार लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उप-अभियंता (सिविल) तथा उप-अभियंता (वि./यॉ) के रिक्त पदों में से विभाग में भर्ती नियमों के अनुरूप शैक्षणिक योग्यताधारी कार्यभारित सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की कार्रवाई की जानी है। अतः भर्ती नियम के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता रखने वाले लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यभारित सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त पद हेतु अपना आवेदन पत्र शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र सहित अपने कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में दो दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि विभाग द्वारा सीमित प्रतियोगी परीक्षा की कार्रवाई की जा सके।

प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि., रायपुर (छ.ग.)
25.8.15